

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं० 1203/2016

अजय वर्मा आयु लगभग 60 वर्ष, पुत्र डा० डी०एन०वर्मा, निवासी  
बी- 169ण निराला नगर, लखनऊ।

याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

विपक्षीगण

आदेश

(मा० श्री विनोद कुमार-III, उपाध्यक्ष (न्या०) द्वारा श्रुतलेखित)

याचिका प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। याची की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। विपक्षी की तरफ से विद्वान पी०ओ० उपस्थित। याची की तरफ से आज प्रस्तुत याचिका की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु न तो कोई मौखिक एवं न ही कोई लिखित स्थगन प्रस्तुत किया गया।

2. याची की तरफ से विगत तिथि दिनांक 04.02.2024, 16.12.2024ए 13.11.2024, 04.10.2024 एवं 04.09.20204 को भी याची की तरफ से कोई उपस्थित नहीं था। अतएव प्रस्तुत याचिका याची की अनुपस्थित एवं पैरवी के अभाव मे मात्र (बिना गुण-दोष पर सुने एवं विचार किये ही) निरस्त की जाती है।

याचिका दाखिल अभिलेखगार हो।

(विनोद कुमार-III)

उपाध्यक्ष (न्या०)

दिनांक: 22 अप्रैल 2025

एम०हुसैन/नि०स०